



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2070]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2018/ज्येष्ठ 15, 1940

No. 2070]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2018/JYAISTHA 15, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2018

का.आ. 2288(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2018 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है) के पैरा 3क के उप पैरा (3) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु कि नब्बे दिन के पश्चात् किए गए आवेदन को तभी ग्रहण किया जाएगा जब विलम्ब के पर्याप्त कारण दिए गए हों।”।

3. मूल आदेश के पैरा 17 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“17. फीस - अनुज्ञप्ति जारी करने या रजिस्ट्रीकरण करने या नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे यथा विनिर्दिष्ट फीस संलग्न होगी :-

(क) विनिर्माण इकाई का रजिस्ट्रीकरण जारी करने के लिए - रु. 1,20,000/-

(ख) क्रेता का रजिस्ट्रीकरण जारी करने के लिए	- रु. 9,000/-
(ग) नीलामी आयोजक के लिए नए सिरे से अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए	- रु. 2,00,000/-
(घ) नीलामी आयोजक के अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए	- रु. 1,25,000/-
(ङ) दलाल के लिए नए सिरे से अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए	- रु. 90,000/-
(च) दलाल के अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए	- रु. 56,000/-:

परंतु यह कि एक से अधिक विनिर्माण इकाई वाला विनिर्माता प्रत्येक विनिर्माण इकाई के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन के लिए अपेक्षित आवेदन फीस सहित पृथक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

परंतु यह और कि ऐसा क्रेता जिसका एक से अधिक कार्यालय या शाखा है अपने सभी कार्यालयों या शाखाओं का पता उपदर्शित करते हुए अपेक्षित आवेदन फीस के साथ केवल एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।”।

4. मूल आदेश के विद्यमान प्ररूप 'ड.' और प्ररूप 'च' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् : -

"प्ररूप - ड.

[पैरा 7 (1) देखें]

रजिस्ट्रीकृत निर्माता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिटर्न

..... मास के लिए रिटर्न

भाग-I (काली और हरी चाय के लिए)

1. कारखाने का नाम:
2. कारखाने का प्रकार:
3. टी.एम.सी.ओ. संख्या (आर.सी संख्या):
4. जिला:
5. उत्पादन की संस्थापित क्षमता:
6. कंपनी का नाम:
7. विनिर्माण का प्रकार:
8. तालुक :
9. राज्य:

○ यह रिटर्न प्रत्येक मास के 7वें दिन को या उससे पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए

○ यदि मात्रा / मूल्य न हो तो कृपया शून्य (0) भरें

10. उत्पादन से संबंधित सूचना :

(i) मेड टी स्टॉक आरम्भिक अधिशेष (कि.ग्रा.)

मेड टी स्टॉक आरम्भिक अधिशेष (कि.ग्रा. में) :					
सीटीसी	ऑर्थोडोक्स	हरी चाय	आर्गेनिक चाय	अन्य चाय	कुल

(ii) हरी पत्ती का विवरण (कि.ग्रा. में)

पूर्व मास से अग्रणी त जीएल मात्रा	अपने बगीचे से बाहर क्रय की गई मात्रा	मात्रा से सोर्स किया गया						उत्पादित हरी पत्ती की कुल मात्रा	अन्य चाय बागानों/ सहयोगी संस्थाओं को हस्तांतरित मात्रा	चाय के उत्पादन के लिए उपयोग की गई कुल जीएल मात्रा	चाय उत्पादन के लिए उपयोग की गई हरी चाय का प्रतिशत	जीएल मात्रा की समापन अधिशेष
		बड़े उद्यानों/ सहयोगी संस्था की संख्या	मात्रा	लघु उत्पादकों की संख्या	मात्रा	एसटी जी एस/ एस एच जी की संख्या	मात्रा					

(iii) अपने बगीचे के माध्यम से मास के दौरान निर्मित चाय की मात्रा (कि.ग्रा. में)

सीटीसी	ऑर्थोडोक्स	हरी चाय	आर्गेनिक चाय	अन्य चाय (ओलॉग, सफेद चाय आदि)	कुल मेड टी का उत्पादन

(iv) चाय अपशिष्ट को छोड़कर खरीदी गई हरी पत्ती (अन्य संपदाओं से) के माध्यम से मास के दौरान निर्मित चाय (कि.ग्रा.) की मात्रा

सीटीसी	ऑर्थोडोक्स	हरी चाय	आर्गेनिक चाय	अन्य चाय (ओलॉग, सफेद चाय आदि)	कुल मेड टी का उत्पादन

(v) चाय अपशिष्ट को छोड़कर छोटे उत्पादकों से खरीदी गई हरी पत्ती मात्रा के माध्यम से मास के दौरान निर्मित चाय (कि.ग्रा.) की मात्रा

सीटीसी	ऑर्थोडोक्स	हरी चाय	आर्गेनिक चाय	अन्य चाय (ओलॉग, सफेद चाय आदि)	कुल मेड टी का उत्पादन

कुल सीटीसी	कुल ऑर्थोडोक्स	कुल हरी चाय	कुल आर्गेनिक चाय	अन्य चाय (ओलॉग, सफेद चाय आदि)

(vi) मास के दौरान पैकेट चाय के रूप में निर्मित चाय की प्रमात्रा क्वांटम

कुल कि.ग्रा.	कुल राशि

(vii) मास के दौरान कारखाने की भिजवाई गई कुल मेड टी (कि.ग्रा.)

सीटीसी	ऑर्थोडोक्स	हरी चाय	आर्गेनिक चाय	अन्य चाय	कुल

11. बिक्री की जानकारी

(i) निजी विक्रय ब्यौरे (आउटलेट बिक्री सहित) [रजिस्ट्रीकृत क्रेताओं / राजस्व जिला / दलाल / दिखाई गई सूची में चाय का प्रकार का चयन करें]
[यदि इस मास के दौरान निजी बिक्री नहीं की जाती है, तो कृपया कोई मूल्य दर्ज न करें]

क्रेता का नाम	स्थान (राजस्व जिला)	दलालों का नाम	चाय के प्रकार	बिक्री की विधियाँ	बेची गई मात्रा (कि.ग्रा.)	कुल रकम	औसत / कि.ग्रा.

(ii) स्टॉक स्थानांतरण / खेप

कुल मात्रा (कि.ग्रा. में)	कुल रकम

(iii) फैक्टरी गेट बिक्री

कुल मात्रा (कि.ग्रा. में)	कुल रकम

(iv) कर्मचारी या अन्य को उपहार / नमूनों (कि.ग्रा. में) के रूप में दी गई चाय की मात्रा

	कर्मचारी	अन्य	कुल राशि
कुल मात्रा			

12. चाय अपशिष्ट

(i) अर्जित / बेची गयी चाय अपशिष्ट का विवरण (कि.ग्रा में)

आरम्भिक अधिशेष	महीने के दौरान उत्पन्न मात्रा	महीने के दौरान निपटारा की गयी मात्रा	अंतिम अधिशेष

(ii) चाय अपशिष्ट के निपटान का विवरण

मात्रा (कि.ग्रा. में)	वसूला गया कुल मूल्य	निपटान का तरीका	क्रेता का नाम

(iii) चाय अपशिष्ट का अप्राकृतिकरण

अप्राकृतिकृत मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकरण, पत्र संख्या और तारीख	अधिकारी का नाम जिसकी उपस्थिति में अप्राकृतिकरण किया गया

13. टिप्पणियाँ :

भाग- II (तैयार चाय के लिए)

1. विनिर्माण इकाई का नाम:
2. पता:
3. विनिर्माण इकाई के स्वामित्व वाली कंपनी का नाम :
4. टीएमसीओ के अधीन चाय बोर्ड की रजिस्ट्रीकरण संख्या:

5. जिला:

6. राज्य:

7. टी.डब्लू.सी.ओ. के अधीन चाय अपशिष्ट लाइसेंस संख्या:

- यह रिटर्न प्रत्येक मास के 7वें दिन को या उससे पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए
- यदि कीमत नहीं होगी, तो कृपया शून्य (0) दर्ज करें

8. उत्पादित तैयार चाय की कोई मात्रा जिसका मास के दौरान निर्यात किया जाता है :

9. आरंभिक स्टॉक:

10. कच्ची सामग्री :

सोर्स की गयी हरी पत्ती की मात्रा	भुगतान की गयी औसत कीमत	इस्तेमाल की गयी मात्रा	चाय संपदा / लघु चाय उत्पादक का नाम

खरीदी गयी चाय अपशिष्ट की मात्रा	भुगतान की गयी औसत कीमत	इस्तेमाल की गयी मात्रा	चाय अपशिष्ट विक्रेता का नाम

खरीदी गयी बनायी गयी चाय की मात्रा	भुगतान की गयी औसत कीमत	इस्तेमाल की गयी मात्रा	विनिर्माता / नीलामी केंद्र का नाम

तैयार चाय विनिर्माण के उपयोग के लिए खरीदी गयी किसी अन्य कच्चे माल की मात्रा	भुगतान की गयी औसत कीमत	इस्तेमाल की गयी मात्रा	व्यक्तियों का नाम जिनसे खरीदा गया

11. मास के दौरान निर्मित तैयार चाय की मात्रा :

12. तैयार चाय का निपटान :

क्रेता का नाम	रजिस्ट्रीकरण संख्या	घरेलू बाजार में तैयार चाय की बिक्री	यूनिट मूल्य

13. कच्ची सामग्री का अंतिम स्टॉक
 हरी पत्ती की मात्रा :
 चाय अपशिष्ट की मात्रा :
 मेड टी की मात्रा :
 किसी भी अन्य कच्चे माल की मात्रा :

14. तैयार चाय का अन्तिम स्टॉक :

घोषणा

मैं / हम यह प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि उपरोक्त रिटर्न में दिए गए आंकड़ों सहित जानकारी सही है और उन्हें अभिलेखों से सत्यापित किया जा सकता है।

स्थान :

तारीख:

हस्ताक्षर

(प्रबंधक / प्राधिकृत प्रतिनिधि)

प्ररूप - च

[पैरा 7(2) देखें]

रजिस्ट्रीकृत क्रेता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली त्रैमासिक रिटर्न
 सेतक

1. फर्म / कंपनी, आदि का नाम :
2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता तथा दूरभाष / फैक्स नंबर / ई-मेल :
3. टी.एम.सी.ओ. के अधीन चाय बोर्ड का रजिस्ट्रीकरण सं. :
 - यह रिटर्न प्रत्येक मास के 7वें दिन को या उससे पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए
 - यदि कोई मात्रा / मूल्य न हो तो कृपया शून्य (0) दर्ज करें
4. रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारम्भ में गोदाम में पड़े चाय का आरम्भिक स्टॉक (कि.ग्रा.):

चाय के प्रकार	सीटीसी	ऑर्थोडोक्स	दार्जिलिंग	हरी	अन्य	कुल
खुली चाय						
पैकेट चाय						

5. रिपोर्टाधीन मास के दौरान थोक में खरीदी गई/प्राप्त की गई चाय की मात्रा (कि.ग्रा में) और औसत मूल्य (रूपया/कि.ग्रा) :

(i) नीलामी से भिन्न अन्य स्रोतों से की गई खरीद

चाय के प्रकार	सीटीसी		ऑर्थोडोक्स		दार्जिलिंग		हरी		अन्य		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्ती												
चूरा												

(ii) अपने बागान / कारखाने से किया गया उपापन

चाय के प्रकार	सीटीसी		ऑर्थोडोक्स		दार्जिलिंग		हरी		अन्य		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्ती												
चूरा												

6. रिपोर्टाधीन के दौरान पैकेट चाय और चाय बैग, तैयार चाय, फ्लेवर युक्त चाय और त्वरित ब्रूइंग ब्लैक टी के रूप में उत्पादित चाय की मात्रा (कि.ग्रा) :

चाय का प्रकार	मात्रा (किग्रा में)
पैकेट चाय	
चाय बैग	
तैयार चाय	
फ्लेवर युक्त चाय	
त्वरित ब्रूइंग ब्लैक टी	

7. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान चाय का विपणन :

चाय का प्रकार	मात्रा (कि.ग्रा में)	वसूल की गई कीमत (रुपये प्रति कि.ग्रा. में)
पैकेट चाय		
चाय बैग		
तैयार चाय		
फ्लेवर युक्त चाय		
त्वरित ब्रूइंग ब्लैक टी		
ब्लैक चाय		

8. स्टॉक ट्रांसफर और आरक्षित मूल्य के माध्यम से मालवाहक / कमीशन एजेंटों द्वारा प्राप्त मात्रा

चाय का प्रकार	सीटीसी		ऑर्थोडोक्स		दार्जिलिंग		हरी		अन्य		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्ती												
डस्ट												

9. मालवाहक / कमीशन एजेंट नीचे दी गई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करेगा :

परेषक का नाम	चाय का प्रकार	प्राप्त मात्रा	बेची गयी मात्रा	कुल मूल्य	टिप्पणियाँ

घोषणा

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त रिटर्न में दी गयी आँकड़ों सहित समस्त जानकारी सही है और यह कि उनका अभिलेखों से सत्यापन किया जा सकता है।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

(प्रबंधक / प्राधिकृत प्रतिनिधि) "।

[फा.सं. टी-12014 /1/2017-प्लॉट (क)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II , खण्ड 3, उप-खंड (ii) में का.आ.सं. 1 (अ), तारीख 1 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :-

- (1) का.आ. 247 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2003;
- (2) का.आ. 430 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2003;
- (3) का.आ. 270 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004;
- (4) का.आ.1170 (अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2004;
- (5) का.आ.1017 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2005;
- (6) का.आ.1012 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015;
- (7) का.आ. 2688 (अ), तारीख 1 अक्टूबर, 2015;
- (8) का.आ. 3319 (अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2016; और
- (9) का.आ. 21 (अ), तारीख 3 जनवरी, 2017 ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th June, 2018

S.O. 2288(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003, (hereinafter referred as the principal Order), in paragraph 3A, in sub-paragraph (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that an application made after ninety days shall be accepted provided sufficient reasons for delay are given.”.

3. In the principal Order, for paragraph 17, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“17. Fees – Every application for the issue of a licence or registration or renewal thereof shall be accompanied by fees as specified below:-

(a) for the issue of registration of manufacturing unit	- Rs. 1,20,000/-
(b) for the issue of registration of buyer	- Rs. 9,000/-
(c) for the issue of fresh license of Auction Organizer	- Rs. 2,00,000/-
(d) for the issue of renewal of license of Auction Organiser	- Rs. 1,25,000/-
(e) for the issue of fresh license of Broker	- Rs. 90,000/-
(f) for the issue of renewal of license of Broker	- Rs. 56,000/- :

Provided that a manufacturer with more than one manufacturing unit shall submit separate application for registration for each manufacturing unit along with requisite application fee for each such application:

Provided further that a buyer having more than one office or branch shall submit only one application indicating addresses of all its offices or branches along with the requisite application fee.”.

4. In the principal Order, for the existing Form ‘E’ and Form ‘F’, the following Forms shall be substituted, namely:-

Monthly return to be submitted by the Registered Manufacturers

Carry forward GL quantity from previous month	Quantity purchased from Outside Own Garden	Quantity sourced from										
		No. of big Gardens/ Sister Concerns	Q u a n t i t y	No. of small growers	Q u a n t i t y	N o. of S T S H G	Q u a n t i t y	Total quantity of green leaf procured	Quantity Transferred to other Tea Gardens/ Sister Concerns	Total GL Quantity used for manufacture of Tea	% of Green leaf used for made tea production	GL Quantity Closing Balance

(iii) Quantity of Tea (in Kgs) manufactured during the month through own garden Green Leaf

CTC	Orthodox	Green Tea	Organic Tea	Other Tea (Oolong, White tea etc.)	Total made Tea production

(iv) Quantity of Tea (in Kgs) manufactured during the month through purchased Green Leaf (from other estates) quantity excluding Tea Waste

CTC	Orthodox	Green Tea	Organic Tea	Other Tea (Oolong, White tea etc.)	Total made Tea production

(v) Quantity of Tea (in Kgs) manufactured during the month through purchased Green Leaf quantity from small growers excluding Tea Waste

CTC	Orthodox	Green Tea	Organic Tea	Other Tea (Oolong, White tea etc.)	Total made Tea production

Total CTC	Total Orthodox	Total Green Tea	Total Organic Tea	Other Tea (Oolong, White tea etc.)

(vi) Quantum of Tea manufactured as packet tea during the Month

Total Kgs	Total Amount

(vii) Dispatches of Total made Tea from the factory during the month (in Kgs)

CTC	Orthodox	Green Tea	Organic Tea	Other Tea	Total

11. Sales Info

(i) Private Sale Details (including outlet sale) [Select the Registered Buyers/Rev Dist/Brokers/ Type of tea in the list shown]

[Please do not enter any value, if the Private Sale is not made during this month]

Name of the buyer	Location (Rev Dist)	Name of the brokers	Type of Tea	Mode of sale	Quantity sold (in Kgs)	Total Amount	Avg/Kg

(ii) Stock Transfer / Consignment

Total quantity (in Kgs)	Total Amount

(iii) Factory Gate Sale

Total quantity (in Kgs)	Total Amount

(iv) Quantity of Tea given as gift to employee or others/samples (in Kgs)

	Employees	Others	Total Amount
Total quantity			

12. Tea Waste

(i) Details of tea waste accrued / sold (in Kgs)

Opening balance	Quantity generated during the month	Quantity disposed of during the month	Closing balance

(ii) Details of tea waste disposed

Quantity(in kgs)	Total price realised	Mode of disposal	Name of the buyer

(iii) Denaturing of Tea waste

Quantity denatured	Date	Tea Board authority, letter no. and date	Name of the official in whose presence denaturing performed

13. Remarks:

Part-II (For Instant Tea)

1. Name of the Manufacturing Unit:

2. Address:

3. Name of the Co. Owning the Mfg Unit:

4. Tea Board's Registration No. under TMCO:

5. District:

6. State:

7. Tea Waste Licence No. under TWCO:

- **Return should be submitted on or before the 7th day of every month**
- **If Price will not be there, Kindly enter Zero(0)**

8. Any quantity of instant tea produced are exported during the month:

9. Opening Stock:

10. Raw Materials:

Quantity of Green Leaf Sourced	Average Price Paid	Quantity Used	Name of the Tea Estate/Small Tea Grower

Quantity of tea waste purchased	Average Price Paid	Quantity Used	Name of the Tea Waste Seller

Quantity of made tea purchased	Average Price Paid	Quantity Used	Name of the manufacturer/auction center

Quantity of any other raw materials purchased for the use of instant tea manufacturing	Average Price Paid	Quantity Used	Name of the persons from whom purchased

11. Quantity of instant tea manufactured during the month:

12. Disposal of Instant Tea:

Name of the Buyer	Registration no.	Sale of instant tea in the domestic market	Unit price

13. Closing stock of Raw Materials

Quantity of green leaf :

Quantity of Tea Waste :

Quantity of made tea :

Quantity of any other raw material :

14. Closing Stock of instant tea:

DECLARATION

I/We hereby certify that the information including the figures given in the above return are correct and that they can be verified from the records.

Place:

Date:

Signature
(Manager/Authorised Representative)

FORM – F

[See Paragraph 7(2)]

Quarterly return to be submitted by the Registered Buyer for the period

From.....to.....

1. Name of the Firm/Company etc.:
2. Address of Regd. Office with Telephone / Fax No/E-mail:
3. Tea Board's Regn. No. under TMCO:
 - Return should be submitted on or before the 7th day of every month
 - If Quantity/Price will not be there, Kindly enter Zero(0)
4. Opening Stock of Tea (in Kgs) lying in the godown at the beginning of the period under report:

Type of tea	CTC	Orthodox	Darjeeling	Green	Others	Total
Loose tea						
Packets tea						

5. Quantity (in kgs.) and Avg.Price (Rs./Kg) of teas purchased/procured in bulk during the month under report:

(i) Purchases from sources other than auctions

Type of Tea	C.T.C		Orthodox		Darjeeling		Green		Others		Total	
	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price
Leaf												
Dust												

(ii) Procurements from Own Garden/Factory

Type of Tea	C.T.C		Orthodox		Darjeeling		Green		Others		Total	
	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price
Leaf												
Dust												

6. Quantity (kgs.) of tea produced in the form of Packet tea and Tea Bags, Instant tea, Flavoured tea and Quick Brewing Black tea during the period under report:

Type of Tea	Quantity (in kgs)
Packet tea	
Tea Bags	
Instant tea	
Flavoured Tea	
Quick Brewing Black tea	

7. Marketing of Tea during the period under report:

Type of Tea	Quantity (in kgs)	Price realized (in Rs. Per Kg)
Packet Tea		
Tea Bags		
Instant tea		
Flavoured Tea		
Quick Brewing Black tea.		
Bulk Tea		

8. Quantity received by consignee/commission agents by way of stock transfer and reserve price

Type of Tea	C.T.C		Orthodox		Darjeeling		Green		Others		Total	
	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price	Qty	Price
Leaf												
Dust												

9. Consignee/Commission Agent shall furnish additional information as prescribed below:

Name of the Consignor	Type of teas	Quantity received	Quantity sold	Total value	Remarks

DECLARATION

I/We hereby certify that the information including figures given in the above return is correct and that they can be verified from the records.

Place:

Date:

Signature

(Manager/Authorised Representative)''.

[F.No.T-12014/1/2017-Plant (A)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 1(E), dated the 1st January, 2003 and subsequently amended *vide* following notifications, namely:-

- (1) S.O. 247(E), dated the 28th February, 2003;
- (2) S.O. 430(E), dated 10th April, 2003;
- (3) S.O. 270(E), dated 27th February, 2004;

- (4) S.O. 1170(E), dated 20th October, 2004;
- (5) S.O. 1017(E), dated 15th July, 2005;
- (6) S.O. 1012(E), dated 15th April, 2015;
- (7) S.O. 2688(E), dated 1st October, 2015;
- (8) S.O. 3319(E), dated 25th October, 2016; and
- (9) S.O. 21(E), dated 3rd January, 2017.